प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2022*

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ, में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तीरथ पुत्र श्री बाबू, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी तीरथ पुत्र श्री बाबू, ग्राम-गोडहिया नं0-02, थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमें की रंजिश को लेकर दिनांक 22.07.2002 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचा, बल्लम, तलवार व फरसा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/2004, में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट), बहराइच के दण्डादेश आदेश दिनांक 29.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.10.2020 तक 13 वर्ष, 03 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा बंदी के कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नही किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, कारागार से रिहा होने पर गम्भीर घटना घटित होने की आशंका होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की कम आयु, कारित अपराध की प्रकृति, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी तीरथ (बन्दी संख्या-17186) पुत्र श्री बाबू, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-75/2022/1230(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- बहराइच ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।